



कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)



Email id: datiamedicalcollege@gmail.com

Email id: nodalsrjrgmedatia@gmail.com

पता- 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, मध्यप्रदेश पिनकोड - 475661

पत्र क्रमांक 4259/स्था./एस.आर./द.चि.म./2025

दतिया, दिनांक 22/05/2025

// विज्ञापन //

संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्र. 2-15/2022/01/55/स्था. राज/2021 दिनांक 24/12/2021 में प्रदत्त अनुमति एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 2-15/2022/1/55 भोपाल दिनांक 04/03/2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. 2-42/07/1/55, भोपाल दिनांक 17/12/2021 में चयन प्रक्रिया के संबंध में वर्णित नियम एवं शर्तों के आधार पर सीनियर रेसीडेंट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) हेतु भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू प्रत्येक मंगलवार को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में आयोजित किये जावेंगे। यह नियुक्ति एक वर्ष हेतु की जावेगी तत्पश्चात् संस्था में आवश्यक होने पर उपरोक्त अवधि बढ़ाने पर विचार किया जावेगा।

(सीनियर रेसीडेंट निश्चित वेतन रुपये 88,210/-प्रतिमाह)

स.क्र.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद	UR	ST	SC	OBC	EWS
01-	जनरल मेडिसिन विभाग	02	00	01	00	01	00
02-	चर्म रोग विभाग	01	01	00	00	00	00
03-	निश्चेतना विभाग	01	00	00	01	00	00
04-	रेडियोलॉजी विभाग	02	00	00	01	01	00
कुल		06	01	01	02	02	00

महिला (Female) चिकित्सक उपलब्ध न होने पर पद पुरुष वर्ग से भरा जावेगा।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 27 प्रतिशत के संबंध में दायर याचिका का अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सीनियर रेसीडेंट पद हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू नोटिस जारी होने के उपरांत प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार (कार्य दिवस) को प्रातः 10:00 बजे तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के कार्यकाल में आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेंगे। तत्पश्चात् प्राप्त दस्तावेजों के स्कूटनी समिति द्वारा स्कूटनी के उपरांत पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार कर दोपहर 01:00 बजे कॉलेज काउंसिल रूम में आयोजित किये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की मूलप्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्र. एफ-4-7/2/55 दिनांक 25/08/2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसीडेंट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बॉण्ड से इस शर्त साथ मुक्त किया जायेगा, की बॉण्ड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाये देंगे। उक्त अवधि के पूर्व की सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा किये गये बॉण्ड की शर्त लागू हो जायेगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

10/5/2025
22/05/2025

प्रिन्सिपल एवं विभागाध्यक्ष
आ.चि.म. दतिया

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

Email id: datiamedicalcollege@gmail.com

Email id: nodalsrjrgmcdatia@gmail.com

पता- 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, मध्यप्रदेश पिनकोड - 475661

नोट :-

01. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
02. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
03. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं एवं विकलांगों हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार प्रत्येक श्रेणी में सीटें आरक्षित हैं।
04. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणियों के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जाएंगी।
05. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

सीनियर रेसीडेंट

पात्रता :-

01. सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पॉच (05) वर्ष के अंदर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक होंगे।
02. चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
03. एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होंगी।

अपात्रता :-

एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अध्ययन अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

01. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
02. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
03. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अधिष्ठाता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
04. बिन्दु 01 से 04 में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे छात्र-छात्रायें चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।
05. उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में छात्र-छात्रा द्वारा पी.जी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित टीप अंकित की जायेगी।

चयनविधि :-

01. अधिष्ठाता द्वारा कॉलेज नोटिस बोर्ड, कॉलेज वेबसाइट के माध्यम से इन पदों के लिये विज्ञापित जारी किया जायेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
02. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के उत्तीर्ण चिकित्सकों की दी जायेगी। तत्पश्चात् मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात् शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
03. चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।
04. चयनित सीनियर रेसीडेंट को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

16/5/2024
डॉ. किरण त्रिपाठी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
नोडल अधिकारी, सीनियर/जूनियर रेसीडेंट



कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)



Email id: datiamedicalcollege@gmail.com

Email id: nodalsrjrgmcdatia@gmail.com

पता- 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, मध्यप्रदेश पिनकोड - 475661

टेन्योर (Tenure) :-

1. यह नियुक्ति 01 वर्ष के लिये की जायेगी। 01 वर्ष पश्चात् संस्था में आवश्यक होने पर कार्य संतोषजनक पाये जाने पर पुनः 01 वर्ष के लिये और बढ़ायी जा सकेगी, टेन्योर अधिकतम 03 वर्ष का होगा उसके उपरांत आपकी सेवा स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किए जायेंगे।
2. 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का टेन्योर समाप्त होने के 15 दिवस पूर्व कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा एवं सीनियर रेसीडेंट चयन समिति के सलाह पर संबंधित का टेन्योर अधिष्ठाता के द्वारा आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
3. विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेंट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, सम्बद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेंट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण :-

01. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
02. निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों को चयन किया जायेगा। तदोपरान्त सीनियर रेजीडेंट हेतु चिकित्सकों का चयन होगा।
03. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :- सीनियर रेसीडेंट प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी, तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। सप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। सीनियर रेसीडेंट को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने पर मातृत्व अवकाश अवधि को असाधारण अवैतनिक अवकाश मान्य किया जायेगा।

शिष्यावृत्ति:- मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचालित सीनियर रेजीडेंट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी।

1. अवधि :- सीनियर रेसीडेंट की सेवा अवधि (Tenure) 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् संस्था में आवश्यक होने पर सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 03 वर्ष तक बढ़ाई जावेगी।
2. नियुक्ति तरीका :- योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा परीक्षा सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. आवेदन शुल्क :- सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु किसी प्रकार का शुल्क लागू नहीं होगा, आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क होगी।
4. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने पात्रता नहीं होगी।
5. यात्रा भत्ता :- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

1/5
22/05/2025

डा. निरंजन त्रिपाठी

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

नोडल अधिकारी, सीनियर/जूनियर रेजिडेंट

शा.चि.म. दतिया



कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

Email id: dattamedicalcollege@gmail.com

Email id: nodalsrjrgmedatia@gmail.com

पता- 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, मध्यप्रदेश पिनकोड - 475661



अन्य शर्त :-

01. चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्षों में 12 दिवस के आकरिगक अवकाश की पात्रता होगी। तथा साप्ताह में 01 दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेजीडेंट से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
02. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में राक्षम अधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
03. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
04. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
05. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
06. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
07. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य मेडिकल काउंसिल अथवा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूलप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
08. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह शपथ-पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है। यदि उनके विरुद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरुद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज है तो उन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
09. साक्षात्कार के समय यदि विभाग में ओ.बी.सी. पद रिक्त है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में ओ.बी.सी. श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
10. बाण्डेड अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बाण्ड भरा हुआ है एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है किन्तु मैंने अपनी ज्वाइनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ -पत्र शासकीय सेवा के अंतर्गत बाण्ड के बदले सीनियर रेसीडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

[Signature]

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

दतिया मध्यप्रदेश

दतिया, दिनांक 22/05/2025

पत्र क्रमांक 4259 /स्था./एस.आर./द.चि.म./2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ।

01. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चरपा करने हेतु।
03. स्थापना शाखा, शा.चि.महा.दतिया की ओर रिकॉर्ड हेतु।
04. डॉ. आनंद भदकारिया, सहायक प्राध्यापक की ओर प्रेषित कर लेख है कि शा.चि.महा.दतिया की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

[Signature]

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया मध्यप्रदेश

16-5
22/05/2025

डा. किरण त्रिपाठी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
नोडल अधिकारी, सीनियर/जूनियर रेजिडेंट
शा.चि.म. दतिया

आवेदन का प्रारूप

सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (✓ करें)
नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

Photo

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला.....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. आवेदक की आयुदिन माह वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
10. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
11. एमबीबीएस/बी.डी.एस. उत्तीर्ण महाविद्यालय का नाम :-.....
12. एमडी/एमएस/बी.डी.एस./एम.डी.एस./डीएनबी उत्तीर्ण महाविद्यालय का नाम :-.....
13. बॉन्डेड/नॉन बॉन्डेड.....
14. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
अ. (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.)-
ब. एमडी/एमएस/डीएनबी/एम.डी.एस.-
स. एमसीएच/डीएम-

15. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	कॉलेज नाम	वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	कुल अंक	कुल प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	6	7	8	
1	MBBS/BDS First Prof.						
2	MBBS/BDS Second Prof.						
3	MBBS/BDS Final Part I						
4	MBBS/BDS Final Part II						
5	MD/MS/DNB/MDS DIPLOMA						
6	MCH/DM						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक करें)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

One set of self attested photocopies of the below mentioned documents should be submitted to the scrutiny committee.

S.NO	Document	Submitted		Remark
		Yes	No	
1	Photo ID proof(Aadhar/PAN/Voter ID)			
2	Proof of date of birth – birth certificate/10 th mark sheet			
3	MBBS /BDS mark sheets			
4	MBBS/BDS attempt certificate			
5	Internship Completion Certificate			
6	MBBS/BDS degree Certificate			
7	MBBS/BDS/MDS registration Certificate			
8	MD/MS/DNB/MDS Mark sheet			
9	MD/MS/DNB/MDS attempt certificate			
10	MD/MS/DNB/MDS registration			
11	MD/MS/DNB/MDS degree Certificate			
12	Caste certificates if applicable			
13	MP Domicile Certificate			
14	Documents Retention Certificate (if applicable)			
15	Teaching Experience/Govt.Inst.Working Certificate			
16	Copy of Publications (1 st page) with Indexing 1 st /2 nd /3 rd corresponding author.			
17	Paper presentation Conference State/ National /International.			
18	Any Other Documents			

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर